

रक्षा मंत्रालय
मांग संख्या 19
रक्षा मंत्रालय (विविध)

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	26929.99	5185.83	32115.82	27744.71	5523.69	33268.40	28360.20	5463.48	33823.68	28458.04	6651.73	35109.77
वसूलियां	-0.02	-59.99	-60.01	-88.00	-432.00	-520.00	-50.00	-490.00	-540.00	-50.00	-1070.00	-1120.00
प्राप्तियां	-17041.79	...	-17041.79	-17896.18	...	-17896.18	-17283.68	...	-17283.68	-17783.68	...	-17783.68
निवल	9888.18	5125.84	15014.02	9760.53	5091.69	14852.22	11026.52	4973.48	16000.00	10624.36	5581.73	16206.09
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय सामान्य सेवाएं	1586.95	...	1586.95	1717.00	...	1717.00	1700.74	...	1700.74	1766.68	...	1766.68
2. सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय	548.63	...	548.63	592.71	...	592.71	792.91	...	792.91	861.16	...	861.16
3. तटरक्षक संगठन	1773.25	2468.97	4242.22	1829.79	2200.00	4029.79	2148.97	2200.00	4348.97	2091.42	2700.00	4791.42
4. रक्षा संपदा निदेशालय	345.45	...	345.45	398.66	...	398.66	434.72	...	434.72	475.99	...	475.99
5. जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री	1135.12	...	1135.12	1261.27	...	1261.27	1210.61	...	1210.61	1275.65	...	1275.65
6. थलसेना न्यायाधिकरण	34.63	...	34.63	41.48	...	41.48	40.18	...	40.18	42.90	...	42.90
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5424.03	2468.97	7893.00	5840.91	2200.00	8040.91	6328.13	2200.00	8528.13	6513.80	2700.00	9213.80
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य												
7. केन्द्रिय सड़क निधि को स्थानांतरित	88.00	362.00	450.00	50.00	400.00	450.00	50.00	820.00	870.00
8. सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण												
8.01 कुल बजट सहायता	...	2589.55	2589.55	...	2779.66	2779.66	...	2708.46	2708.46	...	2785.00	2785.00
8.02 केन्द्रीय निधि से प्राप्त राशि	-362.00	-362.00	...	-400.00	-400.00	...	-820.00	-820.00
<i>निवल</i>	...	2589.55	2589.55	...	2417.66	2417.66	...	2308.46	2308.46	...	1965.00	1965.00
9. स्ट्रैटजिक सड़क के लिए राज्यों को अनुदान												
9.01 कुल बजट सहायता	66.74	...	66.74	88.00	...	88.00	50.00	...	50.00	80.00	...	80.00
9.02 केन्द्रीय निधि से प्राप्त राशि	-88.00	...	-88.00	-50.00	...	-50.00	-50.00	...	-50.00
<i>निवल</i>	66.74	...	66.74	30.00	...	30.00
10. अन्य कार्य	661.22	...	661.22	707.83	...	707.83	629.32	...	629.32	700.00	...	700.00
जोड़-सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य	727.96	2589.55	3317.51	795.83	2779.66	3575.49	679.32	2708.46	3387.78	780.00	2785.00	3565.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	727.96	2589.55	3317.51	795.83	2779.66	3575.49	679.32	2708.46	3387.78	780.00	2785.00	3565.00
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
11. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड												
11.01 व्याज आर्थिक सहायता	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84
11.02 पुनर्संग्रहण कार्यों के लिए सहायता	200.00	...	200.00
जोड़- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	200.00	...	200.00	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84
अन्य												
आवास												
12. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टर का रखरखाव व मरम्मत	41.17	...	41.17	46.72	...	46.72	46.60	...	46.60	51.19	...	51.19
13. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैंटीन स्टोर विभाग/स्टाफ क्वार्टर के लिए निवास स्थान सुविधाएं	...	29.78	29.78	...	31.06	31.06	...	33.06	33.06	...	22.05	22.05
जोड़-आवास	41.17	29.78	70.95	46.72	31.06	77.78	46.60	33.06	79.66	51.19	22.05	73.24
लोक निर्माण कार्य												
14. रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सैन्य न्यास-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय	...	20.73	20.73	...	33.78	33.78	...	16.38	16.38	...	40.26	40.26
15. विविध ऋण	...	2.82	2.82	...	3.85	3.85	...	2.11	2.11	...	4.00	4.00
16. कैंटीन स्टोर विभाग												
16.01 कैंटीन स्टोर विभाग	17335.71	...	17335.71	17722.46	2.70	17725.16	17000.00	2.00	17002.00	17500.00	2.00	17502.00
16.02 घटाइए राजस्व प्राप्ति	-16897.42	...	-16897.42	-17737.50	...	-17737.50	-17125.00	...	-17125.00	-17625.00	...	-17625.00
निवल	438.29	...	438.29	-15.04	2.70	-12.34	-125.00	2.00	-123.00	-125.00	2.00	-123.00
17. भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य नियोजन योजना												
17.01 भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना	2905.83	9.10	2914.93	2911.50	33.00	2944.50	3916.86	7.20	3924.06	3223.76	28.42	3252.18
17.02 घटाइए राजस्व प्राप्ति	-123.63	...	-123.63	-150.72	...	-150.72	-150.72	...	-150.72	-150.72	...	-150.72
निवल	2782.20	9.10	2791.30	2760.78	33.00	2793.78	3766.14	7.20	3773.34	3073.04	28.42	3101.46
18. मिलिट्री फार्म												
18.01 सैनिक फार्म	295.27	4.89	300.16	334.45	7.64	342.09	334.45	4.27	338.72	334.45	...	334.45
18.02 घटाइए राजस्व प्राप्ति	-20.74	...	-20.74	-7.96	...	-7.96	-7.96	...	-7.96	-7.96	...	-7.96
निवल	274.53	4.89	279.42	326.49	7.64	334.13	326.49	4.27	330.76	326.49	...	326.49
जोड़-अन्य	3536.19	67.32	3603.51	3118.95	112.03	3230.98	4014.23	65.02	4079.25	3325.72	96.73	3422.45
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	3736.19	67.32	3803.51	3123.79	112.03	3235.82	4019.07	65.02	4084.09	3330.56	96.73	3427.29
कुल जोड़	9888.18	5125.84	15014.02	9760.53	5091.69	14852.22	11026.52	4973.48	16000.00	10624.36	5581.73	16206.09

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. योजना परिव्यय												
सामान्य सेवाएं												
1. न्याय प्रशासन	34.63	...	34.63	41.48	...	41.48	40.18	...	40.18	42.90	...	42.90
2. सीमा शुल्क	1773.25	...	1773.25	1829.79	...	1829.79	2148.97	...	2148.97	2091.42	...	2091.42
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2481.03	...	2481.03	2708.37	...	2708.37	2928.37	...	2928.37	3103.83	...	3103.83
4. पुलिस	1135.12	...	1135.12	1261.27	...	1261.27	1210.61	...	1210.61	1275.65	...	1275.65
5. लोक निर्माण कार्य	22.06	...	22.06	24.72	...	24.72	24.60	...	24.60	26.83	...	26.83
6. विविध सामान्य सेवाएं	438.29	...	438.29	-15.04	...	-15.04	-125.00	...	-125.00	-125.00	...	-125.00
7. रक्षा सेवाएं-थल सेना	3056.73	...	3056.73	3087.27	...	3087.27	4092.63	...	4092.63	3399.53	...	3399.53
8. अन्य राजकोपीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	2468.97	2468.97	...	2200.00	2200.00	...	2200.00	2200.00	...	2700.00	2700.00
9. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	20.73	20.73	...	33.78	33.78	...	16.38	16.38	...	40.26	40.26
10. विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	2.70	2.70	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
11. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	13.99	13.99	...	40.64	40.64	...	11.47	11.47	...	28.42	28.42
जोड़-सामान्य सेवाएं	8941.11	2503.69	11444.80	8937.86	2277.12	11214.98	10320.36	2229.85	12550.21	9815.16	2770.68	12585.84
सामाजिक सेवाएं												
12. आवास	19.11	...	19.11	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	24.36	...	24.36
13. आवास पर पूंजी परिव्यय	...	29.78	29.78	...	31.06	31.06	...	33.06	33.06	...	22.05	22.05
जोड़-सामाजिक सेवाएं	19.11	29.78	48.89	22.00	31.06	53.06	22.00	33.06	55.06	24.36	22.05	46.41
आर्थिक सेवाएं												
14. उद्योग	200.00	...	200.00	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84	4.84	...	4.84
15. सड़क और पुल	661.22	...	661.22	795.83	...	795.83	679.32	...	679.32	750.00	...	750.00
16. सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	...	2589.55	2589.55	...	2743.46	2743.46	...	2437.62	2437.62	...	2506.50	2506.50
जोड़-आर्थिक सेवाएं	861.22	2589.55	3450.77	800.67	2743.46	3544.13	684.16	2437.62	3121.78	754.84	2506.50	3261.34
अन्य												
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र	8.80	...	8.80	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00
18. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	66.74	...	66.74	-8.80	...	-8.80	-5.00	...	-5.00	22.00	...	22.00
19. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	36.20	36.20	...	270.84	270.84	...	278.50	278.50
20. विविध ऋण	...	2.82	2.82	...	3.85	3.85	...	2.11	2.11	...	4.00	4.00
जोड़-अन्य	66.74	2.82	69.56	...	40.05	40.05	...	272.95	272.95	30.00	282.50	312.50
कुल जोड़	9888.18	5125.84	15014.02	9760.53	5091.69	14852.22	11026.52	4973.48	16000.00	10624.36	5581.73	16206.09

2. **सीमा सड़क विकास बोर्ड सचिवालय:** स्थापना संबंधी व्यय के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन के लिए प्रावधान।

1. **सचिवालय सामान्य सेवाएं:** रक्षा सचिवालय पर व्यय के लिए प्रावधान (अर्थात् डी ओ डी, डीडीपी, डी आर

एंड डी, डी ई एस डब्ल्यू, वित्त प्रभाग और आई डी एस ए) और रक्षा लेखा विभाग।

3. **तटरक्षक संगठन:** तटरक्षक संगठन पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान।

4. **रक्षा संपदा निदेशालय:** यह प्रावधान रक्षा संपदा संगठन के लिए किया गया है जिसका मुख्य कार्य छावनी बोर्डों का प्रशासन, छावनी से बाहर या भीतर कहीं भी स्थित रक्षा भूमि का प्रबंधन, रक्षा प्रयोजकों के लिए अचल संपत्तियों की मांग करना एवं किराए पर लेना आदि हैं।

5. **जम्मू व कश्मीर लाइट इंफैंट्री:** जम्मू एंड कश्मीर लाइट इंफैंट्री जोकि मई 1977 तक जे एंड के सहायक सेना के नाम से जानी जाती थी, वर्तमान में भारतीय सेना की पूर्ण विकसित रेजीमेंट है जिसके पास रेजिमेंटल सेंटर और रिकार्ड कार्यालय के अलावा 15 बटालियन हैं।

6. **थलसेना न्यायाधिकरण:** यह प्रावधान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिकरण अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्थापित 'सशस्त्र बल न्यायाधिकरण' (ए एफटी) पर राजस्व व्यय के लिए किया गया है।

7. **केन्द्राय सड़क निधि को स्थानांतरित:** इस प्रावधान में सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए राजपथ खंडों को विकसित करने के लिए तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति कतिपय रणनीतिक महत्व की सड़कों को निर्मित करने के लिए अनुदान शामिल है। यह व्यय केंद्रीय सड़क निधि से पूरा किया जाएगा।

11. **हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड:** यह प्रावधान हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को सन्निडी देने के लिए किया गया है।

12. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैटीन स्टोर विभाग स्टाफ क्वार्टर का रखरखाव व मरम्मत:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय भवनों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए है।

13. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/कैटीन स्टोर विभाग/स्टाफ क्वार्टर के लिए निवास स्थान सुविधाएं:** यह प्रावधान कैटीन भंडार विभाग, रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत सुविधाओं के लिए किया गया है। यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन के स्टाफ के लिए तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए है।

14. **रक्षा लेखा विभाग/रक्षा संपदा संगठन/सैन्य न्यास-अन्य भवन के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय:** यह प्रावधान रक्षा लेखा विभाग, रक्षा संपदा संगठन और रक्षा बल अभिकरण (एएफटी) के कार्यालय भवनों के रक्षा लेखा विभाग और रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य के लिए है।

15. **विविध ऋण:** सीएसडी की यूनिट संचालित कैटीन आदि के लिए विविध ऋणों के लिए प्रावधान। बजट प्रावधान वर्ष में सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होता है।

16.01. **कैटीन स्टोर विभाग:** कैटीन भंडार विभाग इस मंत्रालय का विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है। यह संपूर्ण भारत में रक्षा सेवा के सदस्यों को उचित एवं किफायती दरों पर घरेलू वस्तुएं एवं दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं मुहैया कराने के उद्देश्य से कार्य करता है। इस शीर्ष के अंतर्गत नेटवर्क व्यय (सकल व्यय से अधिक की प्राप्तियों) के लिए प्रावधान है।

कैटीन भंडार विभाग की राजस्व प्राप्ति सं.अ. 2017-18 में 17125 रु. और व.अ.2018-19 में 17625 रु. अनुमानित है।

17.01. **भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना:** इस शीर्ष (ईसीएचएस) के अंतर्गत प्रावधान में पारिवारिक पेंशनधारकों के साथ-साथ आश्रितों सहित पूर्व सैनिकों को चिकित्सीय उपचार प्रदान करने पर व्यय आता है जिसमें उनके पति/पत्नी, वैध वच्चे तथा पूर्णतः आश्रित माता-पिता शामिल हैं। ईसीएचएस एक अंशदायी योजना है। सेवा निवृत्ति पर सशस्त्र सेना का प्रत्येक कार्मिक एक निश्चित राशि का एक मुश्त योगदान करके अनिवार्य रूप से ईसीएचएस का सदस्य बनेगा। इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न सैन्य तथा असैन्य स्टेशनों पर नए पॉलिक्लिनिकों को खोलकर भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें ईसीएचएस संगठन के लिए आवश्यक आस्तियों/अवसंरचना सुविधाओं के अधिप्रापण पर पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान भी किए गए हैं जिसमें भूमि का क्रय, इमारतों का निर्माण करना तथा चिकित्सीय उपकरणों की खरीद शामिल है।

18.01. **सैनिक फार्म:** सैन्य फार्म मुख्यतः सशस्त्र बलों को डेयरी उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति उपलब्ध करवाने और सेना द्वारा रखे जाने वाले पशुओं के लिए चारा के लिए ऐसे स्थानों पर जहां इस प्रकार की आपूर्ति सिविल साधनों से उपलब्ध नहीं होती के लिए बनाए गए हैं। कुछ स्टेशनों पर सैनिकों को उपलब्ध कराने के लिए सब्जियां भी उगाई जाती है। सैन्य फार्मों का पूंजीगत व्यय संयंत्र और मशीनरी की लागत, पशुओं की संख्या में वृद्धि या कटौती एवं निर्माण कार्यों पर व्यय से संबंधित है।